

FAX : 011-3012432 (N.B.)  
011-3013142 (E.O.)  
011-4624821 (L.N.B.)  
011-6107962 (Trg. Div.)  
011-4361230 (P.E.S.B.)

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING  
नई दिल्ली  
NEW DELHI

email: [estres@dpt.delhi.nic.in](mailto:estres@dpt.delhi.nic.in)

No. 36035/1/2000-Estt(Res)

Dated the February, 2000  
18th

**OFFICE MEMORANDUM**


***Sub: Posting of Government employees who have children with hearing impairment or multiple disability.***

\*\*\*\*\*

The undersigned is directed to say that there has been a demand that an employed parent of a child suffering from hearing impairment or multiple disability may be given posting to their own preferred linguistic Zone or State where educational facility for their hearing impaired or multiple disabled child exists and that too in the same language exists. This demand has been made on the ground that the disabled children may have opportunities of learning in one single language, as these children cannot cope up with learning their subjects in more than one language, as a result of transfer of their parents from one State to another.

2. The matter has been examined. Considering that the facilities for medical care and education of children with hearing impairment or multiple disability may not be available at all Stations, such requests from the parents of a child suffering from hearing impairment or multiple disability, may as far as possible, be considered sympathetically. Where, however, this may not be possible, efforts may be made to accommodate such a Government servant in the same State to the extent possible.

3. All the Ministries / Departments, etc. are requested to bring these instructions to the notice of all the appointing authorities under their control.



(D.P. Bhardwaj)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel.No. 301 3307

To

1. All Ministries / Departments of the Government of India.
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
3. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
4. Department of Public Enterprises , New Delhi.
5. Railway Board,
6. Union Public Service Commission / Supreme Court of India / Election Commission / Lok Sabha Secretariat / Rajya Sabha Secretariat / Cabinet Secretariat / Central Vigilance Commission / President's Secretariat / Prime Minister's Office / Planning Commission.
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
8. Office of the Chief Commissioner for Disabilities, Room No. 120, Institute for the Physically Handicapped Building, 4. Vishnu Digamber Marg, New Delhi.

सं०-36035/1/2000-स्था-४ आरक्षण४

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिक्षण तथा पेंशन मंत्रालय

४ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग४

नई दिल्ली, दिनांक : फरवरी , 2000  
18)

कार्यालय-ज्ञापन

विषय : बधिर या बहुविध रूप से अशक्त बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि यह मांग की जा रही है कि बधिरता अथवा बहुविध अशक्तता वाले बच्चों के काम-काज माता-पिता को उनके अपनी पसन्द वाले भाषायी क्षेत्रों अथवा राज्यों में तैनात किया जाए जहां उनके बधिर अथवा बहुविध रूप से अशक्त बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाएं मौजूद हैं और वह भी उसी भाषा में जिसमें बच्चा पहले शिक्षा ग्रहण कर रहा है । यह मांग इस आधार पर की गई है कि अशक्त बच्चों को एक ही भाषा में सीखने-पढ़ने का अवसर प्राप्त हो क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता-पिता का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण हो जाने के परिणामस्वरूप एक से अधिक भाषाओं में अपने विषय सीखने पढ़ने में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते है ।

2. इस मामले की जांच-पड़ताल कर ली गई है । इस बात पर विचार करते हुए कि बधिर अथवा बहुविध रूप से अशक्त बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधा और शिक्षा की सुविधा सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं होती, बधिर या बहुविध रूप से अशक्त बच्चों के माता-पिता से ऐसे अनुरोध प्राप्त होने पर, जहां तक संभव हो सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाए । तथापि, जहां ऐसा करना संभव न हो वहां ऐसे सरकारी कर्मचारी को जहां तक संभव हो उसी राज्य में समायोजित किए जाने के प्रयास किए जाएं ।

3. सभी मंत्रालयों, विभागों आदि से अनुरोध है कि इन अनुदेशों को अपने नियंत्रणाधीन सभी नियुक्त प्राधिकारियों के ध्यान में ला दें ।

चर्म पाल भारद्वाज

४डी.पी. भारद्वाज४

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष : 3013307

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य विभाग 8 बैंकिंग प्रभाग 8 नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य विभाग 8 बीमा प्रभाग 8 नई दिल्ली ।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेलवे बोर्ड ।
6. लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/राष्ट्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री का कार्यालय/बीजाणु आयोग ।
7. कार्यकारी निदेश संख्या सी.डी.ओ. काकोक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. मुख्य सचिव का कार्यालय, कमरा सं० 120, शारीरिक विकलांग संस्थान भवन, 1, विष्णु विहार, नई दिल्ली ।